

कार्यालय नगरपालिका परिषद, देवरिया।

— अल्पकालिक निविदा सूचना

नगरपालिका परिषद, देवरिया के वर्ष 2016-2017 में पंजीकृत व नवीनीकृत ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि **किटिकल गैप्स 2016-17 के अन्तर्गत नियोजन अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या 309/2016/1263/35-04-2016 दिनांक 15.09.2016** द्वारा शहरी क्षेत्र हेतु **उपलब्ध धनराशि के अन्तर्गत निम्न निर्माण कार्य को कराये जाने हेतु** दिनांक 13.04.17 को प्रातः 11.00 बजे से 2.00 बजे तक मुहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं, जो पालिका में अधिशासी अधिकारी कार्यक्षेत्र में रखी गयी निविदा बाक्स में निविदा डाली जायेगी एवं उपस्थित ठेकेदार गण के समक्ष उसी तिथि को सांय 4.00 बजे खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र निर्धारित शुक्ल जमा कर दिनांक 12.04.17 को प्रातः 11.00 बजे से सांय 2.00 बजे तक पालिका के निर्माण अनुभाग से निविदा प्राप्त किया जा सकता है। निविदा के साथ यथेष्ट मूल्य की धरोहर धनराशि के रूप में एन0एस0सी0/के0बी0पी0/एफ0डी0आर0/नगद फार्म-5 आदि जो अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद, देवरिया के पदनाम बंधक हो संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा उसका उल्लेख निविदा प्रपत्र पर साफ-साफ अंकित करना होगा। जमानत प्रपत्र की छाया प्रति मान्य नहीं होगी। उक्त विज्ञापन को www.deoria.nic.in व पालिका के चालू वेबसाइट www.municipal.deoria.in पर देखे जा सकते हैं।

क्र. सं.	कार्य का नाम	आगणन धनांक	जमानत धनराशि	निविदा प्रपत्र मूल्य	कार्य अवधि
1.	पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउन्ड गेट का निर्माण कार्य।	124000.00	12400.00	124.00	एक माह
2.	पुलिस लाइन स्थित आई0सी0आई0 ए.टी.एम के पास गेट का निर्माण कार्य।	75000.00	7500.00	100.00	एक माह

नियम व शर्तें -

1. रेट परसेटेज बेसिस पर भरे जाएं।
2. निविदा की दरें स्पष्ट रूप से शब्दों तथा अकों में निर्धारित स्थान पर अंकित होनी चाहिए अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. निविदा प्रपत्र पर निविदादाता के स्पष्ट हस्ताक्षर होने चाहिए।
4. निविदा स्वीकृति के पश्चात आदेश प्राप्ति के समय निर्धारित स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित कर कार्य प्रारम्भ करना होगा तथा नियत समय के अन्दर कार्य पूर्ण करना आवश्यक है।
5. निर्माण कार्य पूर्ण होने के छः माह के अन्दर कार्य में किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर जमानत धनराशि जब्त की जा सकती है।
6. ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय से कार्य पूर्ण न किए जाने की दशा में विलम्ब पर अर्थदण्ड भी देय होगा।
7. पालिका में पंजीकृत किसी भी ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि एवं सहयोगी द्वारा किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार/अशिष्टता/अभद्रता अथवा अमर्यादित आचरण आदि किया जाता है तो प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ0आई0आर0) दर्ज कराते हुए सम्बन्धित ठेकेदार के पंजीयन को निरस्त कर ब्लैक लिस्टेड करने के साथ ही अवशेष भुगतान की धनराशि भी जब्त की जा सकती है।
8. निविदा की वैधता छः माह होगी
9. एक या समस्त निविदा को स्वीकार व अस्वीकार करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा।
10. अन्य नियम व शर्तें किसी भी कार्य दिवस में निर्माण अनुभाग में देखी व जानी जा सकती हैं।

(श्रीमती अलका सिंह)
अध्यक्ष

नगरपालिका परिषद, देवरिया।

पत्रांक 1636/नि0वि0-2016-2017/

देवरिया दिनांक 30 मार्च, 2017

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा0 मणि भूषण तिवारी)

अधिशासी अधिकारी

नगरपालिका परिषद, देवरिया

1. जिलाधिकारी महोदय देवरिया के पत्रांक 134,135/किटिकल गैप्स/2016-17/ दिनांक मार्च 21, 2017 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. पुलिस अधीक्षक महोदय देवरिया।
3. सम्पादक श्रीमती अलका सिंह को इस आशय से कि उपरोक्त निविदा सूचना अपने समाचार पत्र में न्यूनतम जगह व न्यूनतम दर पर प्रकाशित कर बिल दो प्रतियों में भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।
4. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) प्रमारी अधिकारी स्थानीय निकाय देवरिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. प्रमारी अधिकारी एन0आई0सी0कलेक्ट्रेट देवरिया को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निविदा को अपने वेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु।
6. नोटिस बोर्ड नगरपालिका देवरिया/जिला पंचायत/विकास भवन/कलेक्ट्रेट/लो0 नि0वि0प्रांतीय खण्ड, देवरिया पर चस्पा हेतु।